संख्या 76-4/2010/एनसीटीई/अकाद दिनांक: 11 फरवरी, 2011

सेवा में
राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के सभी शिक्षा सचिव/आयुक्त

विषय: निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई), 2009 के अंतर्गत शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) संचालित करने के लिए दिशानिर्देश।

महोदय/महोदया,

आरटीई अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (1) के प्रावधानों के अनुसार, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने दिनांक 23 अगस्त, 2010 की अधिसूचना के माध्यम से कक्षा 1 से 8 तक किसी व्यक्ति के शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित की थी। अन्य बातों के साथ-साथ यह भी प्रावधान किया गया था कि आरटीई अधिनियम की धारा 2 के खंड (ढ) में निर्दिष्ट किसी भी विद्यालय में शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए आवश्यक योग्यताओं में से एक यह है कि उसे शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण करनी चाहिए, जो एनसीटीई द्वारा तैयार दिशानिर्देशों के अनुसार उपयुक्त सरकार द्वारा संचालित की जाएगी।

इस संबंध में, कृपया आपकी आवश्यक कार्रवाई हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) संचालित करने के लिए दिशानिर्देश संलग्न है।

इसे सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए।

भवदीय,

ह/-

(विक्रम सहाय)
सदस्य सचिव

संलग्नक: यथोक्त।

प्रतिलिपि:-

(i) मानव संसाधन मंत्री/राज्य मंत्री (मानव संसाधन विकास) के निजी सचिव
(ii) सचिव (स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता) के प्रधान निजी सचिव
(iii) आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन
(iv) आयुक्त, नवोदय विद्यालय समिति
(v) अध्यक्ष, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
(vi) अध्यक्ष, भारतीय विद्यालय प्रमाण पत्र परीक्षा परिषद

शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) संचालित करने के लिए दिशानिर्देश

पृष्ठभूमि और औचित्य

बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के क्रियान्वयन के लिए समयबद्ध रूप से पूरे देश में बड़ी संख्या में शिक्षकों की भर्ती की आवश्यकता है। कार्य की विशालता के बावजूद, यह सुनिश्चित करना वांछनीय है कि शिक्षकों की भर्ती के लिए गुणवत्ता की आवश्यकता किसी भी कीमत पर कम न हो। इसलिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि शिक्षकों के रूप में भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की चुनौतियों का सामना करने के लिए आवश्यक योग्यता और क्षमता हो।

2 बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 की धारा 23 की उपधारा (1) के प्रावधानों के अनुसार, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने 23 अगस्त, 2010 की अपनी अधिसूचना के अनुसार कक्षा 1 से 8 तक में शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम योग्यताएं निर्धारित की हैं। अधिसूचना की एक प्रति अनुलग्नक 1 में संलग्न है। आरटीई अधिनियम की धारा 2 के खंड (ढ) में संदर्भित किसी भी स्कूल में शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने के लिए एक व्यक्ति की आवश्यक योग्यताओं में से एक यह है कि वह शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) में उत्तीर्ण होना चाहिए, जो उपयुक्त सरकार द्वारा संचालित की जाएगी।

3 किसी व्यक्ति की शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता के रूप में टीईटी को शामिल करने का औचित्य निम्न प्रकार है:

i. यह भर्ती प्रक्रिया में शिक्षक गुणवत्ता के राष्ट्रीय मानक और बेंचमार्क स्थापित करेगा;
ii. यह अध्यापक शिक्षा संस्थानों और इन संस्थानों के छात्रों को अपने प्रदर्शन मानकों को और बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करेगा;
iii. इससे सभी हितधारकों को सकारात्मक संकेत मिलेगा कि सरकार शिक्षक गुणवत्ता पर विशेष बल देती है।

4 टीईटी परीक्षा इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त सरकार द्वारा नामित उपयुक्त व्यावसायिक निकाय द्वारा आयोजित की जा सकती है। यह नीचे दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार आयोजित की जाएगी।

पात्रता

5. निम्नलिखित व्यक्ति शिक्षक पात्रता परीक्षा में बैठने के लिए पात्र होंगे:

i. वह व्यक्ति, जिसने दिनांक 23 अगस्त, 2010 की एनसीटीई अधिसूचना में निर्दिष्ट शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यताएं प्राप्त कर ली हों।
ii. ऐसा व्यक्ति, जिसने दिनांक 23 अगस्त, 2010 की एनसीटीई अधिसूचना में निर्दिष्ट किसी भी अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम (एनसीटीई या आरसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त, जैसा भी मामला हो) का अध्ययन कर रहा हो।
iii. शिक्षक पात्रता परीक्षा में बैठने के लिए पात्रता की शर्त में उन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में छूट दी जा सकती है, जिन्हें आरटीई अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (2) के तहत छूट दी गई है। यह छूट, उस उपधारा के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में निर्दिष्ट की जाएगी।

टीईटी की संरचना और सामग्री

6 टीईटी की संरचना और विषय-वस्तु निम्नलिखित पैराग्राफों में दी गई है। सभी प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQ) होंगे, प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा, जिसमें चार विकल्प होंगे, जिनमें से एक उत्तर सही होगा। नकारात्मक अंक नहीं दिए जाएंगे। परीक्षा निकाय द्वारा निम्नलिखित निर्दिष्ट टीईटी की संरचना और विषय-वस्तु का कड़ाईपूर्वक पालन किया जाए।

7 टीईटी के दो पेपर होंगे। **पेपर I** उस व्यक्ति के लिए होगा, जो कक्षा I से V तक का शिक्षक बनना चाहता है। **पेपर II** उस व्यक्ति के लिए होगा, जो कक्षा VI से VIII तक का शिक्षक बनना चाहता है। जो व्यक्ति कक्षा I से V या कक्षा VI से VIII तक का शिक्षक बनना चाहता है, उसे दोनों पेपर **(पेपर I और पेपर II)** देने होंगे।

पेपर I (कक्षा I से V तक); बहु-विकल्पीय प्रश्न (एमसीक्यू) की संख्या-150; परीक्षा की अवधि: डेढ़ घंटे

संरचना और विषय-वस्तु (सभी अनिवार्य)

(i)	बाल विकास और शिक्षाशास्त्र	30	बहु-विकल्पीय प्रश्न (एमसीक्यू)	30 अंक
(ii)	भाषा **I**	30	''	30 ''
(iii)	भाषा **II**	30	''	30 ''
(iv)	गणित	30	''	30 ''
(v)	पर्यावर्णीय अध्ययन	30	''	30 ''

प्रश्नों की प्रकृति एवं मानक

पेपर **I** के लिए प्रश्नों को तैयार करते और बनाते समय, परीक्षा निकाय निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखेगी:

- बाल विकास और शिक्षाशास्त्र पर परीक्षण मदें 6-11 वर्ष की आयु समूह के लिए प्रासंगिक शिक्षण और सीखने के शैक्षिक मनोविज्ञान पर केंद्रित होंगी। वे विविध शिक्षार्थियों की विशेषताओं और आवश्यकताओं, शिक्षार्थियों के साथ बातचीत और शिक्षा के लिए एक अच्छे शिक्षण प्रदाता की विशेषताओं और गुणों को समझने पर ध्यान केंद्रित करेंगी।

- भाषा **I** के लिए परीक्षण मदें, शिक्षण माध्यम से संबंधित दक्षताओं पर केंद्रित होंगी, (जैसाकि आवेदन पत्र में निर्धारित भाषा विकल्पों की सूची से चुना जाएगा)।

- भाषा **II,** भाषा **I** के अलावा निर्धारित विकल्पों में से होगी। उम्मीदवार उपलब्ध भाषा विकल्पों में से किसी एक भाषा का चयन कर सकता है और उसे आवेदन पत्र में इसका उल्लेख करना होगा। भाषा **II** में परीक्षण मदें भाषा, संचार और ज्ञान क्षमताओं के तत्वों पर भी ध्यान देंगी।

- गणित और पर्यावर्णीय अध्ययन में परीक्षण मदें, विषयों की अवधारणाओं, समस्या-समाधान क्षमताओं और शैक्षणिक समझ पर केंद्रित होंगी। उपयुक्त सरकार द्वारा इन सभी विषय क्षेत्रों में, परीक्षण मदें

कक्षा I-V के लिए निर्धारित उस विषय के पाठ्यक्रम के विभिन्न भागों में समान रूप से वितरित की जाएंगी।

- पेपर **I** के लिए परीक्षा के प्रश्न, राज्य के कक्षा I-V के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के विषयों पर आधारित होंगे, लेकिन उनकी कठिनाई का स्तर, और साथ ही संबद्धता, माध्यमिक स्तर तक हो सकती है।

पेपर II (कक्षा VI से VIII के लिए); बहु-विकल्पीय प्रश्न (एमसीक्यू) की संख्या-150; परीक्षा की अवधि: डेढ़ घंटे

संरचना और विषय-वस्तु

(i)	बाल विकास एवं शिक्षाशास्त्र (अनिवार्य)	30 बहु-विकल्पीय प्रश्न (एमसीक्यू)	30 अंक
(ii)	भाषा **I** (अनिवार्य)	30 ''	30 ''
(iii)	भाषा **II** (अनिवार्य)	30 ''	30 ''

(iv) (क) गणित और विज्ञान के शिक्षक के लिए: गणित और विज्ञान - 1 अंक वाले 60 बहु-विकल्पीय प्रश्न

(ख) सामाजिक अध्ययन के शिक्षक के लिए: सामाजिक अध्ययन - 1 अंक वाले 60 बहु-विकल्पीय प्रश्न

(ग) किसी अन्य शिक्षक के लिए - या तो 4(क) या 4(ख)

पेपर **II** के लिए प्रश्नों को तैयार करते और बनाते समय, परीक्षा निकाय निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखेगी:

- बाल विकास और शिक्षाशास्त्र पर परीक्षण मदें 11-14 वर्ष की आयु वर्ग के लिए प्रासंगिक शिक्षण और सीखने के शैक्षिक मनोविज्ञान पर केंद्रित होंगी। वे विविध शिक्षार्थियों की विशेषताओं और आवश्यकताओं, शिक्षार्थियों के साथ बातचीत और शिक्षा के लिए एक अच्छे शिक्षण प्रदाता की विशेषताओं और गुणों को समझने पर ध्यान केंद्रित करेंगी।

- भाषा **I** के लिए परीक्षण मदें, शिक्षण माध्यम से संबंधित दक्षताओं पर केंद्रित होंगी, (जैसाकि आवेदन पत्र में निर्धारित भाषा विकल्पों की सूची से चुना जाएगा)।

- भाषा **II,** भाषा **I** के अलावा निर्धारित विकल्पों में से होगी। उम्मीदवार उपलब्ध भाषा विकल्पों में से किसी एक भाषा का चयन कर सकता है और उसे आवेदन पत्र में इसका उल्लेख करना होगा। भाषा **II** में परीक्षण मदें भाषा, संचार और ज्ञान क्षमताओं के तत्वों पर भी ध्यान देंगी।

- गणित और विज्ञान, तथा सामाजिक अध्ययन में परीक्षण मदें, विषयों की अवधारणाओं, समस्या-समाधान क्षमताओं और शैक्षणिक समझ पर केंद्रित होंगी। गणित और विज्ञान की परीक्षण मदें 30-30 अंकों की होंगी। उपयुक्त सरकार द्वारा इन सभी विषय क्षेत्रों में, परीक्षण मदें कक्षा VI-VII के लिए निर्धारित उस विषय के पाठ्यक्रम के विभिन्न भागों में समान रूप से वितरित की जाएंगी।

- पेपर II के लिए प्रश्न राज्य के कक्षा VI-VIII के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के विषयों पर आधारित होंगे, लेकिन उनकी कठिनाई का स्तर और और साथ ही संबद्धता वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक हो सकती है।

8 प्रश्न पत्र द्विभाषी होगा (i) उपयुक्त सरकार द्वारा निर्धारित भाषा में; तथा (ii) अंग्रेजी भाषा में।

अर्हरक अंक

9. शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) में 60% या उससे अधिक अंक लाने वाले को टीईटी पास माना जाएगा। स्कूल प्रबंधन (सरकारी, स्थानीय निकाय, सरकारी सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त)

(क) अपनी वर्तमान आरक्षण नीति के अनुसार, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग व्यक्तियों आदि को रियायतें देने पर विचार कर सकते हैं;

(ख) भर्ती प्रक्रिया में टीईटी अंकों को महत्व दिया जाना चाहिए; तथापि, टीईटी उत्तीर्ण करने से किसी भी व्यक्ति को भर्ती/नौकरी का अधिकार प्राप्त नहीं होगा क्योंकि नियुक्ति के लिए पात्रता मानदंडों में से मात्र एक पात्रता मानदंड है।

प्रयोज्यता

10

(क) केन्द्र सरकार द्वारा संचालित शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी), आरटीई अधिनियम की धारा 2 के खंड (क) के उपखंड (i) में निर्दिष्ट सभी स्कूलों पर लागू होगी।

(ख) विधानसभा वाले राज्य सरकार/ केंद्र शासित प्रदेश द्वारा संचालित शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी), निम्नलिखित पर लागू होगी:

(i) आरटीई अधिनियम की धारा 2 के खंड (ढ) के उप-खंड (i) में निर्दिष्ट विधानसभा और स्थानीय प्राधिकरण वाले राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र का स्कूल; और

(ii) उस राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में आरटीई अधिनियम की धारा 2 के खंड (ढ) के उप-खंड (ii) में निर्दिष्ट स्कूल।

(i) और (ii) में से कोई भी स्कूल ऐसे उम्मीदवार की पात्रता पर विचार कर सकता है, जिसने विधानसभा वाले किसी अन्य राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश द्वारा प्रदान किया गया टीईटी प्रमाणपत्र प्राप्त किया हो। यदि विधानसभा वाली कोई राज्य सरकार/ केंद्र शासित प्रदेश टीईटी आयोजित न करने का निर्णय लेता है, तो उस राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश में (i) और (ii) में से कोई भी स्कूल केंद्र सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) पर विचार करेगा।

(ग) आरटीई अधिनियम की धारा 2 के खंड (ढ) के उप-खंड (iv) में निर्दिष्ट कोई स्कूल केंद्र सरकार द्वारा संचालित शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) या राज्य सरकार/विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश द्वारा संचालित शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) पर विचार करने का विकल्प चुन सकता है।

शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) के संचालन की आवृत्ति और टीईटी प्रमाण पत्र की वैधता अवधि

11 उपयुक्त सरकार को हर साल कम से कम एक बार शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) संचालित करनी चाहिए। नियुक्ति के लिए टीईटी योग्यता प्रमाण पत्र की वैधता अवधि उपयुक्त सरकार द्वारा तय की जाएगी, जो सभी श्रेणियों के लिए अधिकतम सात वर्ष होगी। परंतु टीईटी प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले प्रयासों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। टीईटी उत्तीर्ण करने वाला व्यक्ति अपने अंकों में सुधार के लिए पुनः परीक्षा दे सकता है।

परीक्षण के संचालन की प्रक्रिया

12 शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) के संचालन के लिए परीक्षा निकाय एक विस्तृत प्रक्रिया तैयार करेगा और निर्देश निर्धारित करेगा। उम्मीदवारों को सूचित किया जाना चाहिए कि किसी भी कदाचार या गलत पहचान को अत्यधिक गंभीरता से लिया जाएगा।

कानूनी विवाद

13 शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) के संचालन के संबंध में सभी कानूनी विवाद उपयुक्त सरकार के अधिकार-क्षेत्र के अधीन होंगे।

शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) प्रमाण पत्र प्रदान करना

14 परीक्षा संचालित करने वाली उपयुक्त सरकार सभी सफल उम्मीदवारों को टीईटी प्रमाण पत्र प्रदान करेगी। प्रमाण पत्र में उम्मीदवार का नाम और पता, जन्म तिथि, पंजीकरण संख्या, प्रमाण पत्र दिए जाने का वर्ष/माह, प्रत्येक पेपर में प्राप्त अंक, इसकी वैधता का कक्षा स्तर (कक्षा I से V, कक्षा VI से VIII या दोनों) और, कक्षा VI से VIII के मामले में, विषय क्षेत्र (विज्ञान और गणित, सामाजिक अध्ययन, आदि) शामिल होने चाहिए। प्रमाण पत्र पर्याप्त सुरक्षा सुविधाओं के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप से तैयार किया जा सकता है। किसी भी तरह की गड़बड़ी से बचने के लिए सुरक्षा सुविधा के रूप में डी-मटेरियलाइज्ड (डीमैट) टीईटी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए उपयुक्त व्यक्ति विशेष एजेंसियों की सेवाओं का उपयोग करने पर विचार कर सकती है।

निगरानी

15 शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) की गुणवत्ता और प्रशासन की निगरानी के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाएंगे:

(क) उपयुक्त सरकार शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) के प्रयोजन के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करेगी।

(ख) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई), प्रत्येक वर्ष कम से कम एक बार नोडल अधिकारियों की बैठक आयोजित करेगी।

(ग) प्रत्येक उपयुक्त व्यक्ति एनसीटीई द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रत्येक टीईटी की रिपोर्ट एनसीटीई को भेजेगा।

(घ) एनसीटीई डाटा बेस बनाए रखेगी तथा टीईटी के संचालन के लिए तकनीकी उपकरणों सहित विशेषज्ञों और संसाधनों के भंडार के रूप में कार्य करेगी तथा इसे उपयुक्त सरकार के साथ साझा करेगी।